छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//संशोधित अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 20.06.18

क्रमांक एफ 10–13/2018/16 :– राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा सफाई कर्मकारों के लिए संचालित **''सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना''** बाबत् अधिसूचना क्रमांक एफ 10–2/2015/16, दिनांक 11.03.2018 की कंडिका (2)(2.3) में निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :–

2. **योजना हेतु पात्रता** :–

2.3 योजनांतर्गत कक्षा छठवीं एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री को सायकल प्रदाय किया जावेगा।

2.4 यदि कर्मकार के बच्चे को सरस्वती सायकल सहायता योजना का लाभ मिल रहा है, तो वह सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

उक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(तीरथ प्रसाद लड़िया)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 10–13/2018/16 **नया रायपुर, दिनांक** 20.06.18

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सचिव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर जिला– .... (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)।
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... (छ0ग0)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)।
9. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग